IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

फोन-(022) 66552711 / 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक महासभा **सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2020** को अपराह्न 3.30 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन: 02509203), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्तन आधार पर पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है

3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे निम्नानुसार एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:-

''**संकल्प किया जाता है कि** जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम तथा तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को -

i. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और

ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Phone-(022) 66552711 / 3147

e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbibank.in]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 16th Annual General Meeting of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Monday, August 17, 2020** at 3.30 p.m. exclusively through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2020 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated financial statements of the Bank and the report of the auditors thereon for the year ended March 31, 2020;

2. To re-appoint Shri Rajesh Kandwal (DIN: 02509203), LIC Nominee Director as rotational Director, who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment

3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**-

"RESOLVED THAT pursuant to Section 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to –

i. appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for the Financial Year 2020-21 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and

ii. appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2020-21 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI.

उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 11000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज़ के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन, ईएसपीएस, इसोप और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

On such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, ESPS, ESOP and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हों, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/ की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों और संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और अन्य लागू होने वाले कानून(नों), यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सांविधिक/ विनियामकीय प्राधिकरणों, जो इस संबंध में अपेक्षित हों, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तनों के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है'':

संशोधित अंतर्नियम :

अंतर्नियम 114 (बी)

निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 10ए में वर्णित किसी भी विषय का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो तथा वे इन अंतर्नियमों, अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम में वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से प्रभावित न हों.

अंतर्नियम 116 :

i. एलआईसी के अध्यक्ष आईडीबीआई बैंक लि. के पदेन गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे;

ii. बोर्ड द्वारा द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ;

iii. बोर्ड द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक;

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules and Regulations, and other applicable law(s), if any, and subject to approval of statutory/regulatory bodies including RBI, if any, as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank as per the direction given by RBI, as follows:

Amended Articles:

Article 114 (b)

Not less than 51% (fifty one percent) of the total number of members of the Board of Directors shall consist of persons, who shall have special knowledge or practical experience in any of the matters mentioned in section 10A of the Banking Regulation Act and who do not suffer from any of the disqualification mentioned in these Articles, the Act and the Banking Regulation Act.

Article 116

i. Chairman of LIC will be an ex-officio Non Executive Non Whole time Chairman of IDBI Bank Ltd.;

ii. One whole time Managing Director & CEO appointed by Board;

iii. Two whole time Deputy Managing Directors appointed by Board;

iv. एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक;

v. भारत सरकार के दो नामिती निदेशक;

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारकों की महासभा में लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए किन्तु विशेष संकल्प के द्वारा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ बोर्ड में अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त 8 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक;

vii. उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के पाँच निदेशक 15 निदेशकों (8 स्वतंत्र निदेशकों को घटाकर) की कुल संख्या के लगभग 2/3 होंगे तथा ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार महासभा में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए.

अंतर्नियम 117

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित कर सकेंगे तथा इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे.

अंतर्नियम 118

इन अंतर्नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशकों, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यकाल को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के स्थान पर तीन महीने के वेतन और भत्ते प्रदान कर समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, को भी विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय बोर्ड को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अपने पद को छोड़ देने का अधिकार होगा, जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा.

अंतर्नियम 119

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा संस्तुत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जोकि अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे. .

Article 127

बोर्ड या समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को देय बैठक शुल्क का निर्धारण समय-समय पर ऐसे शुल्क की अधिकतम सीमा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किया जाएगा जोकि कंपनी अधिनियम,

iv. One Official Nominee Director of LIC;

v. Two Nominee Directors of GoI;

vi. 8 Non Rotational Independent Directors appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of Companies Act, 2013 for an initial term of 4 consecutive years but shall be eligible for re-appointment on passing of special resolution for not more than one more term of 4 years, subject to maximum term of 8 years on the Board;

vii. Five Directors at SL. No (iii) to (v) above being nearest to 2/3rd of the total strength of 15 Directors (minus 8 independent directors) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment;

viii. As per the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 2013, at least one Independent Woman Director should be there on the Board of Directors.

Article 117

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall hold office for such term not exceeding five years as the Board may specify in this behalf and any person so appointed shall be eligible for re-appointment, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 118

Notwithstanding anything contained in these Articles, Board shall have the right to terminate the term of office of the Managing Director & CEO and the whole time directors, as the case may be, at any time before the expiry of the term by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu of such notice; and the Managing Director & CEO or the whole-time directors, as the case may be, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified by giving to the Board notice of not less than three months in writing, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 119

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall receive such salary and allowances as may be determined by the Board and recommended by the Nomination & Remuneration Committee of the Board in accordance with the Act and the Banking Act, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 127

The sitting fees payable to a Director for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be decided by the Board from time to time within the

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए.

अंतर्नियम 141(ए)

कंपनी सामान्य संकल्प द्वारा किसी निदेशक (नामिती निदेशक को नहीं) को उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है.

अंतर्नियम 143

कंपनी के अध्यक्ष, उपस्थित होने पर बोर्ड व इसकी उन समितियों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिनके वे सदस्य हों. यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक का बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन कर लेंगे.

अंतर्नियम 145

कंपनी सचिव अथवा निदेशकों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, निदेशक के अनुरोध पर तथा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के परामर्श से निदेशकों की बैठक आयोजित करेंगे.

अंतर्नियम 154(1)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड निदेशकों में से किसी एक को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त करेगा तथा उनको कंपनी के सभी मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा जाएगा. वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे..

इसके लिए शर्त यह होगी कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में करेंगे.

अंतर्नियम 154(2)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड दो उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगा जो कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन और इन अंतर्नियमों के प्रावधानों के अधीन ऐसे अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उनको बोर्ड या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं.

अंतर्नियम 154(4)

अध्यक्ष सभी सामान्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद 15 मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित निदेशक ऐसी बैठक के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में करेंगे.

अंतर्नियम 155

पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की यदि मृत्यु हो जाती है या वे त्यागपत्र दे देते हैं या अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं या छुट्टी या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, और परिस्थितिवश उनका पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है तो बोर्ड विनियामकीय एजेंसियों के अनुमोदन से, आवश्यक होने पर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के दायित्व निर्वहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा जो अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए होगी.

maximum limits of such fees that may be prescribed by the Companies Act, the Banking Regulation Act, 1949 and regulatory guidelines issued by RBI.

Article 141(a)

The Company may by Ordinary Resolution remove a Director, (not being a nominee director) before the expiry of his period of office.

Article 143

Chairman of the Company, if he is present, shall preside over all the meetings of the Board and the Committee, if he is a member thereof. If at any meeting, the Chairman is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 145

The Company Secretary or such other Officer of the Company as may be authorised by the Directors shall upon the request of a Director and in consultation with Chairman or in his absence Managing Director and CEO or in his absence Whole Time Director of the Bank convene a meeting of the Directors.

Article 154(1)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint one of the Directors to be the Managing Director & CEO and he shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.

Provided that the Managing Director & CEO shall exercise his powers subject to the superintendence, control and direction of the Board of Directors.

Article 154(2)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint two Deputy Managing Directors who shall, subject to the supervision, direction and control of the Managing Director and CEO of the Company and subject to the provisions of these Articles, exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the Managing Director and CEO.

Article 154(4)

The Chairman shall preside over all the General Meetings. In case, chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 155

Where a person appointed as Managing Director & CEO on whole-time basis, dies or resigns or is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his office, Board shall, with the approval of the Regulatory Agencies, if required, make suitable arrangements for carrying out the duties of Managing Director & CEO for a total period not exceeding four months.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन 07459492), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 सितंबर 2019 के पत्र द्वारा और दिनांक 19 सितंबर 2019 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन 02262530) की 20 सितंबर 2019 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09 जनवरी 2020 के पत्र द्वारा और दिनांक 15 जनवरी 2020 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन 03022106) की 15 जनवरी 2020 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन 07555065), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT the appointment of Ms Meera Swarup (DIN 07459492) as a Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN 02262530), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited for 3 years w.e.f. September 20, 2019 at the remuneration approved by RBI vide letter dated September 04, 2019 and by Board at the meeting dated September 19, 2019 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1)(iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN 03022106), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited, for 3 years w.e.f. January 15, 2020 at the remuneration approved by RBI vide letter dated January 09, 2020 and by Board at the meeting dated January 15, 2020 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1) (iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Anshuman Sharma (DIN 07555065) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, सेबी विनियम के अधीन लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर होने वाले अनुमोदन के अधीन/के अनुसार, यहाँ नीचे प्रस्तावित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों की क्षतिपूर्ति संरचना में संशोधन के अनुमोदन के लिए आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल को अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ :

(i) कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए पात्र पूर्णकालिक निदेशकों को पेंशन संबंधी लाभ:

पेंशन की गणना:

पूर्णकालिक निदेशक के रूप में दी गई सेवा अवधि के लिए पेंशन की गणना, कैरियर पोस्ट बैंक और साथ ही बैंक, जहाँ पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तैनात थे, में संयुक्त सेवा को ध्यान में रख कर कल्पित आधार पर बैंक के पेंशन विनियमों के अधीन की जाएगी. इस प्रकार गणना की गई पेंशन और कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा भुगतान किए जा रहे पेंशन के अंतर (कैरियर पोस्ट बैंक में सेवा समापन की तारीख को सेवानिवृत्ति की तारीख मानते हुए) का भुगतान उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक थे.

पेंशन का संराशीकरण :

संराशीकरण के बीच का अंतर मध्यस्थ बैंक या पूर्णकालिक निदेशक जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस बैंक द्वारा देय होगा. संराशीकरण कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा देय होगा.

पेंशन विनियम:

जिस बैंक में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं उस बैक का पेंशन विनियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ पूर्णकालिक निदेशक को पेंशन प्रदान किए जाने लिए के लिए लागू होगा.

उपदान और छुट्टी नकदीकरण :

उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा नहीं किए जाएंगे. कैरियर पोस्ट बैंक, अधिकारी को देय उपदान और छुट्टी नकदीकरण की राशि को उस बैंक को अंतरित करेगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक के रूप प्रभार ग्रहण करते हैं. वह बैंक जहाँ से पूर्णकालिक निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्ति के समय कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए उपदान और छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करेगा.

(ii) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति में संशोधन:

संशोधित क्षतिपूर्ति संरचना में वर्तमान वेतन, भत्ते और अधिवर्षिता लाभ निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. आवास, ड्राईवर का वेतन और सेवानिवृति लाभ (भविष्य निधि, उपदान और पेंशन (यदि लागू हो) के मौद्रिक मूल्य मूल्यांकित किए जाएंगे तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक के लिए निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. क्षतिपूर्ति में प्रस्तावित वृद्धि परिवर्तनशील वेतन के रूप में होगी (नकदी आधारित तथा ईएसओपी के रूप में दीर्घावधि प्रोत्साहन). लक्षित परिवर्तनशील वेतन संमिश्र, वार्षिक नकदी प्रोत्साहन में एक तिहाई और शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT subject to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI Regulations and RBI Guidelines and subject to/in accordance with the approval to be granted by RBI, approval be and is hereby accorded to the Board of Directors of IDBI Bank to approve revision(s) in the compensation structure of MD & CEO and DMDs of the Bank as proposed herein below :

Salient features of the proposed revisions :

(i) Pensionary Benefits to eligible WTDs considering Combined Service in Career Post Bank:

Computation of Pension:

For the period of service rendered as WTD the pension would be notionally calculated for the combined service in the career post Bank as well as the Bank where the officer was posted as WTD as applicable under the Bank's pension regulations. The difference between the pension thus calculated and the pension being paid by the career post Bank (considering the date of cessation in career post Bank as deemed retirement) shall be payable by the Bank where the officer served as WTD.

Commutation of Pension:

Difference between commutation shall be payable by the Intermediary Bank or the Bank from which WTD retired and the commutation paid by the career post Bank.

Pension Regulations:

The pension regulations of the Bank in which the WTD serves shall, mutatis mutandis, apply to the grant of pension to the WTD.

Gratuity and Leave Encashment:

Gratuity and leave encashment shall not be payable by career post Bank. The career post Bank shall transfer gratuity and leave encashment amount payable to officer to the Bank where officer assumes charge as WTD. The Bank at which, the WTD retires shall pay gratuity and leave encashment considering the combined service in career post Bank at the time of retirement.

(ii) Revision in compensation for MD & CEO and DMDs:

Existing pay, allowances and superannuation benefits to be clubbed under Fixed Pay in the revised compensation structure. Monetary value of accommodation, driver's salary and retirement benefits (Provident Fund, Gratuity and pension (if applicable) to be valued and added to the fixed pay of MD & CEO and DMDs as per RBI guidelines. The proposed increase in compensation would be in the form of variable pay (cash based as well as Long term incentives in the form of ESOPs). Target Variable Pay mix to be at 1/3rd in Annual Cash Incentives and 2/3rd in Share-based Long Term

(एलटीआई) में दो तिहाई होगा. इस प्रकार लक्षित कुल क्षतिपूर्ति निम्नानुसार है:

पदनाम	नियत वेतन	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)	परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)
एमडी एवं सीईओ	40%	20%	40%
उप प्रबंध निदेशक	46%	18%	36%

मंजूरी की तारीख से परिवर्तनशील वेतन संबंधी आस्थगन/निधान निम्नानुसार प्रस्तावित है:

पदनाम	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)			परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)		
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक	50%	25%	25%	25%	25%	50%

विवेकपूर्ण जोखिम लेने संबंधी प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति संरचना में मालस एवं क्लाबैक संबंधी प्रावधान का निर्माण किया गया है.

बोर्ड के आदेश से

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई- 400005

दिनांक : 29 जून 2020

Incentive (LTI). The target total compensation thus works out to be as under:

Position Title	Fixed Pay	Variable Pay (Annual Cash Based)	Variable Pay (Share-based LTI)
MD & CEO	40%	20%	40%
DMDs	46%	18%	36%

The Deferral/ Vesting of Variable Pay from Grant Date is proposed as under:

Position Title	Variable Pay (Annual Cash Based)			Variable Pay (Share-based LTI)		
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3
MD & CEO and DMDs	50%	25%	25%	25%	25%	50%

Provision regarding Malus and Clawback has been built in the proposed compensation structure with a view to encourage prudent risk taking.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 29, 2020

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.
2. कोविद-19 महामारी के व्यापक प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और एमसीए के दिनांक 08/04/2020, 13/04/2020 और 05/05/2020 के अनुसरण में वार्षिक महासभा (एजीएम) का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) द्वारा या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जाएगा. अतः, सदस्य इस वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं.
3. एमसीए द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अतः नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.
2. In view of massive outbreak of COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to MCA Circular dated 08/04/2020, 13/04/2020 and 05/05/2020 Annual General Meeting (AGM) may be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
3. Pursuant to Circular dated April 08, 2020, issued by MCA the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for Members attending the AGM through VC/OAVM. Accordingly, the proxy form is not annexed to this notice However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate threat and cast their votes through e-voting.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. लागू परिपत्र के अनुसार, वीसी / ओएवीएम के पास महासभा में भाग लेने के लिए कम से कम 1000 सदस्यों को अनुमति देने की क्षमता होगी तथा यह सहभागिता 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार पर होगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्रों के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक महासभा बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा का नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम की सुविधा की उपलब्धता एमसीए के दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में है.

9. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. In accordance with the applicable circular, the VC/ OAVM will have a capacity to allow at least 1000 members to participate in the AGM and such participation shall be on first come first serve basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first serve basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system will be provided by NSDL.

7. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

8. Providing the facility of VC/OAVM in AGM is in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020.

9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल:einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553062/3336/3147/2711, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

11. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

12. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में दिए गए हैं.

13. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ मंगलवार, 11 अगस्त 2020 से सोमवार, 17 अगस्त 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 10 अगस्त 2020 (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 12 अगस्त 2020 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और रविवार, 16 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग-इन करें.

10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Private Limited at their address at Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail:einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at IDBI Tower, 22nd floor, B Wing, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553062/3336/3147/2711, E-mail : idbiequity@idbibank.co.in] with regard to any share related matter.

11. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iii) Details of login id are given below in this Notice.

13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, August 11, 2020 to Monday, August 17, 2020 (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on August 10, 2020 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from Wednesday August 12, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, August 16, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/